न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड
पीठासीन अधिकारी–शंकर लाल मीना, आर0ए0एस0

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमरचन्द पुत्र श्री दीनालाल, आयु वयस्क, जाति अग्रवाल, निवासी आबूरोड, जिला सिरोही।		1. छगन पुत्र श्री मांगीलाल, जाति कीर, निवासी मण्डार रोड, मानपुर आबूरोड। 2. मगन पुत्र सांकलाजी, जाति सैन, निवासी माउन्ट रोड, मानपुर, आबूरोड। 3. हंसा पुत्र गलाजी, जाति मेघवाल, के कायम मुकाम 3/1 चम्पा पत्नि हंसाजी 3/2 चतरा राम पुत्र हंसाजी 3/3 देवा राम पुत्र हंसाजी 3/4 जितेन्द्र पुत्र हंसाजी जाति मेगवाल निवासी मंडार रोड़, मानपुर, आबूरोड। 4. श्रीमती प्यारी देवी पत्नि मदन लाल निवासी मानपुर।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या : 18/2021(2/2003)
दिनांकः– 18/11/2025

निर्णय

यहकि वादी की ओर से वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी की खातेदारी की कृषिभूमि ग्राम मानपुर, पटवार हल्का मानपुर, भू–अभिलेख क्षेत्र–किवरली, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही में खसरा नंबर 627 मीन रकबा 9 बिस्वा किस्म नहरी प्रथम स्थित है। उक्त कृषि भूमि मण्डार रोड़ पर सड़क से लगी हुई है जो वादी की अकेले की खातेदारी की कृषि भूमि है। वादी की उक्त कृषि भूमि पर माह मार्च, 2001 में तथा अप्रैल 2001 में प्रतिवादीगण एवं राजेन्द्र गहलोत ने अतिक्रमण कर कृषिभूमि पर निर्माण कार्य करना शुरू किया जिसका ज्ञान दि. 10–04–2001 को पटवारी हल्का मानपुर द्वारा भूमि निरीक्षण करते समय हुआ। उस समय राजेन्द्र पुत्र भंवरसिंह गहलोत द्वारा कृषि भूमि पर निर्माण एवं बाउण्ड्री वॉल का कार्य करवाया जा रहा था। पटवारी हल्का मानपुर ने दि. 13–04–2001 को मौका पर्चा तैयार कर राजेन्द्र गहलोत को निमार्ण नही करने हेतु पाबंद किया। उस समय वादी की कृषि भूमि पर अन्य निर्माण जो भी हो रहे थे। वादी को उक्त तथ्य का ज्ञात होते ही वादी ने अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र विधि अनुरूप तहसीलदार, आबूरोड के समक्ष पेश किया। तहसीलदार, आबूरोड ने कार्यालय आदेश क्रमांक 2001/541–42 दि. 18–06–2001 व 13–01–2002 को सीमाज्ञान करने के आदेश दिये।

––2

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

यहकि दिनांक 19–06–2002 को पटवारी, मानपुर एवं वादी को मय रेकर्ड लेकर जांच करने पर पाया गया कि मौके पर प्रतिवादीगण ने निम्नानुसार वादी की कृषि भूमि पर कब्जे कर निर्माण कर लिया है :–

A. प्रतिवादीगण सं. 1 द्वारा 13 × 20 फुट दुकान बनाकर निर्माण किया।

B. प्रतिवादीगण सं. 2 द्वारा 8 × 10 फुट दुकान बनाकर निर्माण किया।

C. प्रतिवादीगण सं. 3 द्वारा 8 × 10 फुट की दो दुकान एवं 38 × 50 फुट में मकान बनाकर अवैध निर्माण किया।

D. राजेन्द्र पुत्र भंवरसिंह गहलोत ने 80 × 60 फुट भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जिसके विरूद्ध वादी अलग से वाद पेश कर रहा है।

यहकि भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका फर्द बनाकर प्रतिवादीगण को मौके से बेदखल कर कब्जा नहीं दिलाया व वादी को सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्ति हेतु चाराजोही करने के निर्देश दिये। दिनांक 19–06–2002 को ही वादी ने प्रतिवादीगण को वादी की कृषि भूमि पर किये अवैध अतिक्रमण को हटाने बाबत् निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने अपना अवैध निर्माण व अतिक्रमण नहीं हटाया। वादी खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर रहा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किया गया तो वह जबरन और अतिक्रमण या अवैध निर्माण करेगा जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति व कई कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्राप्त हेतु निवेदन किया है। यहकि वाद प्रस्तुति का कारण इसलिये पैदा हुआ कि वादी खातेदार कृषक है। वादी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को अवैध अतिक्रमण कर अकृषि प्रयोजन लेने का अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण ने माह मार्च व अप्रेल, 2001 में वादी की कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण करने से उत्पन्न हुआ एवं तत्पश्चात बावजूद तकाजों के प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कृषि भूमि से अवैध निर्माण हटाकर वादी को कब्जा सुपुर्द नहीं करने से वादकरण पैदा हुआ है जो यथावत चालू है एवं प्रतिवीगण द्वारा की कृषि भूमि पर और अवैध कब्जा करने हेतु आमादा है इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुति का कारण पैदा हुआ है।

मैने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादीगण के स्वामित्व की जायदाद सिविल नेचर की आबादी भूमि है जिसके संबंध मे हल्का पटवारी को सीमाज्ञान का कोई क्षैत्राधिकार नही होने एवं प्रतिवादीगण का वादी की कृषि भूमि पर कोई कब्जा नही होने का कथन किया। साथही वाद पत्र के पद संख्या सात को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रतिवादी संख्या तीन हंसा राम ने दिनांक 21.9.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पीर सिंह पुत्र लुंब सिंह भाटी निवासी मानपुर से 30 गुणा 70 कुल 2100 वर्ग फुट का पट्टेशुदा आबादी भूखण्ड खरीद किया था।

—3

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 10 दिनांक 20.6.1967 को ग्राम पंचायत आकराभट्टा द्वारा श्रीमती भूरी पत्नि पीर सिंह भाटी निवासी मानपुर के पक्ष मे जारी किया गया था। श्रीमती भूरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उसके वारिस पीर सिंह भाटी से उक्त भूखण्ड प्रतिवादी संख्या तीन हंसा राम ने क्रय किया था। प्रतिवादी संख्या तीन हंसा राम ने उक्त भूखण्ड पर बने कच्चे बाडे को ध्वस्त करवाकर सन 1993 में नगरपालिका आबूरोड से मानचित्र स्वीकृत करवाकर निर्माण किया था। उक्त भूखण्ड पर सन 1967 से लगातार प्रतिवादीगण एवं उसके प्रिडीसीजर का लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक एवं निर्बाध रूप स्वामित्व एवं कब्जा आधिपत्य आज तक चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा निर्मित जायदाद मे से प्रतिवादी संख्या एक एवं प्रतिवादी संख्या दो की पत्नि श्रीमती प्यारी ने तल मंजिला दूकाने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 24.04.2001 एवं 01.09.1999 के द्वारा खरीद की है। प्रतिवादीगण द्वारा पदवर्णितानुसार कोई नवनिर्माण नही किया जा रहा है। जिससे वादी को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति व कानूनी जटिलताओं का सामना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रतिवादीगण व उसके प्रिडीसीजर का सन 1967 से लगातार कब्जा होने से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से वादी का वाद खरिज करवाने का कथन किया है।

उक्त वाद मे निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः—

1. आया मौजा मानपुर की कृषि भूमि खसरा नंबर 627 मी वादी की खातेदारी भूमि है, इस भूमि पर माह मार्च 2001 में तथा अप्रेल 2001 में प्रतिवादीगण एवं राजेन्द्र गेहलोत ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करना शुरू किया, और अतिक्रमण किया जिसे वादी बेदखल करा पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।— जिम्मे वादी

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।—जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य के आबादी भूखण्ड का पट्टा सं. 10 दिनांक 20.06.1967 को ग्राम पंचायत, आकराभट्टा द्वारा श्रीमती भूरी पत्नि श्री पीरसिंह भाट के पक्ष में जारी हुआ, उसके बाद हंसाराम ने क्रय किया और वर्ष 1993 में नगरपालिका से मानचित्र स्वीकृत करा निर्माण किया था और प्रतिवादीगण एवं उसके पूर्व भू—स्वामी का 1967 से निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादीगण सद्भावी क्रेतागण है। प्रतिवादीगण की जायदाद सिविल नेचर की है, सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादी खारिज योग्य है।—जिम्मे—प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

4. प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा होने से वाद काबिल खारिज है? वाद म्याद बाहर होने से भी प्रतिवादीगण काबिल खारिज है। जिम्मे–प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद काबिल खारिज है।–जिम्मे–प्रतिवादीगण

6. अनुतोष।

उक्त प्रकरण मे वादी अमर चन्द के बयान कलमबद्ध किये गये। प्रतिवादी की ओर से मदन लाल पुत्र सांकला जी सैन निवासी मानपुर एवं छगन पुत्र मांगी लाल जाति कीर निवासी मंडार रोड मानपुर आबूरोड के बयान कलमबद्ध किये गये।

मैने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम मानपुर पटवार हल्का मानपुर के खसरा नंबर 627मीन रकबा 00–09 बीघा कृषि भूमि मे राजेन्द्र गेहलोत द्वारा 2001 मे अतिक्रमण किया था। जो मौका फर्द दिनांक 25.08.2015 एवं 22.02.2016 मे दर्शाया गया है। खसरा नंबर 627 के दो भाग बने एक खसरा नंबर 627मी0 बना एवं दूसरा खसरा नंबर 627/1 बना। मेरी उक्त कृषि आराजी मे प्रतिवादीगण का राजस्व विभाग द्वारा कब्जा बताया है। प्रतिवादीगण का पट्टा बना है वह दूसरी जगह का है। खसरा नंबर 627 का पट्टा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नगर पालिका या पंचायत के दस्तावेजो में नही पाया गया है।

बहस के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त दावा वर्ष 2003 मे पेश हुआ है। जिसमे जमाबंदी खसरा नंबर 627मी0 की पेश की है। जिसके अनुसार सामलाती कृषि भूमि होना बताया है। उक्त खसरा नंबर के दो भाग होकर एक भाग 627/1 सुरेश कुमार पुत्र रामदास जाति अग्रवाल के नाम दर्ज रेकर्ड है एवं दूसरा भाग खसरा नंबर 767/627 अमर चन्द वल्द दिनालाल कौम अग्रवाल के नाम दर्ज रेकर्ड है। वादी ने उक्त वाद मे अपना विक्रय विलेख पेश नही की है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त खसरा नंबर 627मीन की भूमि वादी ने खरीदी हो जबकि वादी ने इस वाद मे जिस राजेन्द्र गहलोत के विरूद्ध अलग से वाद पेश करने का कथन किया है वह वाद अमर चंद बनाम राजेन्द्र गहलोत के नाम से वाद संख्या 1/2003 के रूप मे इसी न्यायालय मे विचाराधीन है। उस वाद मे जो दस्तावेज पेश हुए है उससे भी साबित है कि वादी अमर चंद ने कभी भी खसरा नंबर 627मीन की भूमि क्रय नही की है। प्रतिवादी ने अपनी बहस मे आगे कथन कि इसी कारण वादी के कब्जे में खसरा नंबर 627मीन की भूमि कभी भी नही रही है और वादी का नाम खसरा नंबर 627मीन के रेकर्ड गलत दर्ज हुआ है जिसका अनुचित फायदा लेने के लिए वादी ने यह वाद गलत आधारो पर पेश किया है और न्यायालय से वादी ने तथ्य छुपाये है। जिस कारण वादी का उक्त वाद पोषणीय नही है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध वादी द्वारा कोई रिलीफ भी नही चाही है। प्रतिवादी संख्या चार प्यारी देवी को बाद मे पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद मे जमाबंदी 2050–53 की लगाई गई है जबकि पट्टा वर्ष 1967 का बना हुआ है।

पुराने पट्टे के आधार पर नगर पालिका द्वारा दिनांक 25.03.2022 को प्यारी देवी पत्नि मदन लाल निवासी मानपुर के नाम नामान्तरण/प्रतिस्थापन जारी किया गया है। वाद मे नगर पालिका व राजस्थान सरकार को पक्षकार नही बनाया गया है। साथ ही वादी द्वारा प्रश्नगत पट्टा विलेख एवं रजिस्ट्री के निरस्तीकरण की कार्यवाही नही की गई है। ऐसी स्थिति मे जब तक पट्टा एवं रजिस्ट्री सिविल न्यायालय से निरस्त नही हो जाता तब तक अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा नही लाया जा सकता है। बहस के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 627मी0 के दो भाग होने के पश्चात् खसरा नंबर 767/627 अमर चन्द वल्द दिनालाल कौम अग्रवाल के नाम दर्ज होने के बाद भी उक्त वाद मे उपरोक्तानुसार संशोधन नही करवाया है जिस कारण भी कानूनन वाद खारिज योग्य होने का तर्क दिया।

मैने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य का भी अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 अनुसार मौजा मानपुर का खसरा नंबर 627 मी0 अमर चंद वल्द दिना लाल कौम अग्रवाल सा0 आबूरोड की खातेदारी कृषि आराजी में दर्ज है। मौका फर्द दिनांक 19.06.2002 अनुसार उक्त खसरा नंबर 627मी0 रकबा 00–09 बीघा प्रार्थी अमर चंद के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने 00–09 बीघा भूमि जो बतायी है उस पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। मूल खसरा नंबर 627 के दो टुकडे है अर्थात् बटा नंबर है खसरा नंबर 627/10 के चारो ओर परकोटा व निर्माण है एवं शेष जो क्षेत्र है वह खसरा नंबर 627 मी0 है जो प्रार्थी का होना बताया है। मौके पर 13 फुट गुणा 20 फुट दूकान, छगन/मांगीलाल कीर का कब्जा, 8 फुट गुणा 10 फुट दूकान, मगन/सांकला सेन का कब्जा, 8 फुट गुणा 10 फुट दूकान, 8 फुट गुणा 10 फुट दूकान, 38 फुट गुणा 50 फुट मकान, हंसा/गला मेघवाल का कब्जा, 80 फुट गुणा 60 फुट बराबर 4800 वर्ग फुट जिसमे 25 गुणा 18 मे पक्का निर्माण है राजेन्द्र पुत्र भंवर सिंह गहलोत माली का कब्जा होना बताया है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

इसके अलावा दो निर्माण इसी भू–भाग पर है छत नही है। ऐसी सुरत मे प्रार्थी को सीमाज्ञान नही करवाया जा सका, की मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मानपुर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक आबूरोड प्रस्तुत की है।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 अनुसार वादी अमर चन्द वल्द दिना लाल की उक्त प्रश्नगत आराजी का खसरा नंबर 767/627 बना। पटवारी हल्का मानपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.8.2015 अनुसार उक्त प्रश्नगत खसरा नंबर 627 मे राजस्व रेकर्ड में तरमीम नही होने एवं खसरा नंबर 627 को दो भागों में विभाजित नही कर संपूर्ण 627 का मौका देखने एवं उक्त भूमि में व्यावसायिक प्रतिष्ठान व कब्जा होने का कथन किया एवं मौके पर उपस्थितों ने जाहिर किया कि उक्त जगह पर अमरचंद नामक व्यक्ति का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की है। इसी प्रकार दिनांक 22.02.2016 की मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का मानपुर द्वारा प्रस्तुत की है। तहसीलदार आबूरोड की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2016 अनुसार उक्त प्रश्नगत खसरा नंबर 627 का राजस्व रकर्ड मे दो भाग एक खसरा नंबर 627/1 रकबा 00–08 बीघा एवं खसरा नंबर 767/627 रकबा 00–09 बीघा मे विभाजित होकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदार कमशः सुरेश कुमार पुत्र रामदास तथा अमरचन्द वल्द दीना लाल के नाम दर्ज होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अलावा प्रतिवादी ने अपनी बहस मे वाद द्वारा राजेन्द्र गहलोत के विरूद्ध पेश वाद के संबंध मे जो कथन किये है उसकी सत्यता/असत्यता की जानकारी हेतु न्यायालय ने इस वाद के विधि पूर्ण निस्तारण हेतु इसी न्यायालय मे विचाराधीन उस वाद संख्या 1/2003 अमर चंद बनाम राजेन्द्र गहलोत की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो पाया कि वादी अमर चंद ने जो भूमि श्रीमती भूरी पत्नि पीर सिंह से दिनांक 01.01.1970 को पंजीकृत विकय विलेख से कय की है वह भूमि पूराने खसरा नंबर 407/1 की भूमि मे से एक बीघा भूमि है। जबकि खसरा संख्या 627 जिस पुराने खसरा से बना उसका पुराना खसरा नंबर 407/1 न होकर 407 है। अर्थात् वादी ने जो भूमि कय की है वह खसरा नंबर 627 की भूमि नही है। वादी के उस वाद में पत्रावली मे मौजुद दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि खसरा नंबर 627मीन का वास्तविक खातेदार कोई अरविंद कुमार पुत्र कांति लाल जाति ओसवाल हैं और वादी के नाम खसरा नंबर 627मीन की खातेदारी दर्ज हुई है। वह वादी के विकय विलेख के आधार पर दर्ज होने का अंकन है। जबकि वादी ने खसरा नंबर 627मीन की भुमि कय ही नही की है जिस कारण वादी के नाम खसरा नंबर 627मीन की भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने की कार्यवाही हुई है वह बिना सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश के हुई है जो प्रथम दृष्ट्या गलत होना प्रतित होती है जिस कार्यवाही को विधि अनुसार सही नही माना जा सकता है। अतः बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर निम्नानुसार तनकियात को निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

1. आया मौजा मानपुर की कृषि भूमि खसरा नंबर 627 मी वादी की खातेदारी भूमि है, इस भूमि पर माह मार्च 2001 में तथा अप्रेल 2001 में प्रतिवादीगण एवं राजेन्द्र गेहलोत ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करना शुरू किया, और अतिक्रमण किया जिसे वादी बेदखल करा पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त को सिद्ध करने का भार वादी पर था।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार उक्त प्रश्नगत मौजा मानपुर का खसरा नंबर 627मी0 का नया खसरा नंबर 767/627 बना है। वादी द्वारा अपने वाद मे खसरा नंबर 627मी0 मे अतिक्रमण/अवैद्य निर्माण के संबंध मे दाद चाही है। परन्तु वादी उक्त खसरे की भूमि का स्वामित्व विधि अनुसार साबित नही करवा पाया है तथा वादी द्वारा उपरोक्तानुसार नया खसरा नंबर 767/627 का अपने वाद मे संशोधन नही करवाया गया है। भूरी बाई पत्नि पीर सिंह भाटी को वर्ष 20.06.1967 को ग्राम पंचायत आकरा भट्टा द्वारा पट्टा जारी किया गया है। जबकि वादी द्वारा जमाबंदी संवत् 2050–53 की प्रस्तुत की है।

वादी द्वारा संवत् 2050–53 से पूर्व की स्थिति को स्पष्ट नही किया गया है। पटवारी हल्का मानपुर ने दिनांक 25.8.2015 एवं दिनांक 22.02.2016 की मौका फर्द मे वादी अमरचंद का उक्त प्रश्नगत आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही होने का कथन किया है तथा विवादग्रस्त भूमि मौके पर आबादी के बीच मे आयी हुई एवं उक्त भूमि अन्य निर्माण भी हो गये है। ऐसी स्थिति मे मौके पर मौजूद पक्के निर्माणों को ध्वस्त करना तब तक न्यायसंगत नही होगा जब तक वादी खसरा नंबर 627मीन की भूमि का स्वामित्व विधि अनुसार स्वयं का होना सिद्ध नही करता है और श्रीमती भूरी के नाम से जारी वाद वर्णित पट्टे व प्रतिवादीगण के हक मे पंजिकृत वाद वर्णित विक्रय विलेखों को वादी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा देता है। अतः उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। चूंकि तनकी संख्या एक वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीण के पक्ष मे निर्णित किया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः उक्त तनकी को भी वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य के आबादी भूखण्ड का पट्टा सं. 10 दिनांक 20.06.1967 को ग्राम पंचायत, आकराभट्टा द्वारा श्रीमती भूरी पत्नि श्री पीरसिंह भाट के पक्ष में जारी हुआ, उसके बाद हंसाराम ने क्रय किया और वर्ष 1993 में नगरपालिका से मानचित्र स्वीकृत करा निर्माण किया था और प्रतिवादीगण एवं उसके पूर्व भू–स्वामी का 1967 से निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादीगण सद्भावी क्रेतागण है। प्रतिवादीगण की जायदाद सिविल नेचर की है, सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादी खारिज योग्य है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण था।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार श्रीमती भूरी पत्नि श्री पीरसिंह भाट के पक्ष में आबादी भूखण्ड का पट्टा सं. 10 दिनांक 20.06. 1967 को ग्राम पंचायत, आकराभट्टा द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार श्रीमती भूरी वर्ष 1967 से प्रश्नगत आराजी पर काबिज होना प्रकट होता है। जबकि वादी द्वारा अपने वाद मे संवत् 2050–53 की जमाबंदी प्रस्तुत की है। उक्त संवत् से पूर्व की स्थिति के बारे में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया है और ना ही खसरा नंबर 627मीन के स्वामित्व के दस्तावेज विकय विलेख आदि को वादी ने पेश किया है। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के पक्ष मे वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा होने से वाद काबिल खारिज है? वाद म्याद बाहर होने से भी प्रतिवादीगण काबिल खारिज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण था।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार श्रीमती भूरी पत्नि श्री पीरसिंह भाट के पक्ष में आबादी भूखण्ड का पट्टा सं. 10 दिनांक 20.06.1967 को ग्राम पंचायत, आकराभट्टा द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार श्रीमती भूरी वर्ष 1967 से प्रश्नगत आराजी पर काबिज होना प्रकट होता है। जबकि वादी द्वारा अपने वाद मे संवत् 2050–53 की जमाबंदी प्रस्तुत की है और वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि वादी का कब्जा कभी भी खसरा नंबर 627मीन की भूमि पर रहा हो इसके अलावा उक्त संवत् से पूर्व की स्थिति के बारे में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है। अतः उक्त तनकी को भी प्रतिवादीगण के पक्ष मे एवं वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद काबिल खारिज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण था।

पत्रावली के अवलोकन के आधार पर उक्त वाद मे राजस्थान सरकार को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त वाद में वादग्रस्त खसरे के स्वामित्व व सही राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिति प्रकट करने के लिए राजस्थान राज्य एक आवश्यक पक्षकार था किन्तु वादी ने उसे इस वाद मे पक्षकार नही बनाया है। ऐसी स्थिति मे उक्त तनकी को भी प्रतिवादीगण के पक्ष मे एवं वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

आदेश

अतः उपरोक्त तनकियात के निर्णय के आधार पर वादी का उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

डिक्री बमुकमदमें इब्तदाई

(ऑ.21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड

पीठासीन अधिकारी–शंकर लाल मीना, आर0ए0एस0

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमरचन्द पुत्र श्री दीनालाल, आयु वयस्क, जाति अग्रवाल, निवासी आबूरोड, जिला सिरोही।		1. छगन पुत्र श्री मांगीलाल, जाति कीर, निवासी मण्डार रोड, मानपुर आबूरोड। 2. मगन पुत्र सांकलाजी, जाति सैन, निवासी माउन्ट रोड, मानपुर, आबूरोड। 3. हंसा पुत्र गलाजी, जाति मेंघवाल, के कायम मुकाम 3/1 चम्पा पत्नि हंसाजी 3/2 चतरा राम पुत्र हंसाजी 3/3 देवा राम पुत्र हंसाजी 3/4 जितेन्द्र पुत्र हंसाजी जाति मेगवाल निवासी मंडार रोड़, मानपुर, आबूरोड। 4. श्रीमती प्यारी देवी पत्नि मदन लाल निवासी मानपुर।

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या : 18/2021(2/2003)

दिनांकः– 18/11/2025

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता वादी मीन जानिब मुदई व प्रतिवादीगण मीन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तनकियात के निर्णय के आधार पर वादी का उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

नीचे.....X.....मुतलिक.....बाबत.....X..... खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह.....X.....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....X.....को अदा करें। वसीब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/11/2025को जारी की गई है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)